परिमण्डल काउन्सिल बी.एस.एन.एल. म.प्र. भोपाल

काउन्सिल सेक्रेट्री
एच.एस. ठाकुर
मो. 94253–93197

काउन्सिल लीडर
हबीब खान
मो. 94250–15786

क्रमांक/2015/सीसी/सी.ए.2 **दिनांक 18.03.2015**

प्रति,

श्रीमान एन.के.यादव,
मुख्य महाप्रबंधक,
दूरसंचार म.प्र. दूरसंचार परिमंडल,
भोपाल।

विषय :– परिमण्डल काउन्सिल में चर्चा के लिए विषय सूची।

महोदय,

परिमण्डल काउन्सिल में चर्चा के लिए विषय सूची निम्नानुसार है :–

1. **मेडिकल बिलों का भुगतान – कृपया जानकारी उपलब्ध करावें :–**

(क) परिमंडल कार्यालय में कुल कितने चिकित्सा बिल पेमेंट के लिए पेंडिंग हैं तथा इन बिलों की राशि लगभग कितने रुपयों की है। 60 दिनों से अधिक की समयावधि से यदि मेडीकल बिल पेंडिंग हैं, तो कृपया बतायें कि क्यों पेंडिंग है।

(ख) प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हर माह लंबित मेडीकल बिलों का भुगतान किया जावेगा एवम् 31 मार्च 2015 तक समस्त बिलों का भुगतान हो जायेगा, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। समस्त लंबित मेडीकल बिलों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(ग) कर्मियों द्वारा समयावधि में प्रस्तुत लेकिन प्रशासनिक स्तर पर देरी के कारण रिजेक्ट किये गये चिकित्सा बिलों का पुनः निरीक्षण करके नियमानुसार प्रशासनिक स्तर पर देरी के कारण उनका पेमेंट किया जावे।

(घ) ओ.पी. शर्मा सागर का पेंडिंग बिल शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराया जाय।

(ङ) वर्तमान में म.प्र. परिमण्डल में बड़ी संख्या में मेडिकल बिल पेंडिंग हैं, मान्यता प्राप्त अस्पताल कर्मचारियों का इलाज करने से मना कर रहे हैं जैसे–तैसे यदि कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो कर्मचारियों का इलाज आधा–अधूरा किया जाता है एवं विभिन्न दवाइयों का भुगतान करने हेतु दबाव बनाया जाता है। कर्मचारी अस्पतालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान हैं।

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

2. **अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण** – वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति में कार्यवाही पूर्ण करने में अत्याधिक विलम्ब होता है। अतः हमारी मांग है कि अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही त्वरित गति से एस.एस.ए. स्तर पर पूर्ण कर परिमंडल कार्यालय को उपलब्ध करावें।

3. **श्रम कानूनों का पालन करने के संबंध में** :– समय–समय पर कारपोरेट कार्यालय द्वारा विभिन्न आदेश तत्संबंध में निकलते रहे हैं और परिमंडल कार्यालय द्वारा फील्ड यूनिटों को अग्रेषित किये जाते रहे हैं लेकिन देखने में आ रहा है कि उनका पालन नहीं किया जा रहा है। मांग है कि कमेटी बनाकर मॉनीटरिंग कर श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करवाया जाय।

4. **प्रेसीडेंशियल आर्डर जारी करने के संबंध में** – म.प्र. परिमण्डल में अनेक कर्मचारियों के प्रेसीडेंशियल आदेश अभी तक जारी नहीं किये गये हैं, कृपया प्रेसीडेंशियल आदेश अतिशीघ्र जारी करवाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

5. **बी.एस.एन.एल. की मार्केटिंग में सुधार** – बी.एस.एन.एल. द्वारा विभिन्न स्कीम, रियायत, टैरिफ किये जाते हैं लेकिन बेहतर मार्केटिंग नहीं होने के कारण ग्राहकों को पता ही नहीं चलता है। अतः इस संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है।

   (क) टैरिफ कार्ड बहुत ही सरल हो हिन्दी एवं अंग्रेजी में हो।

   (ख) उपभोक्ता सेवा केन्द्रों में टैरिफ प्रोजेक्टर या वीडियों फिल्म के माध्यम से हो।

   (ग) मार्केटिंग अनुभाग एवं उपभोक्ता सेवा केन्द्र के स्टाफ की मीटिंग प्रतिमाह निश्चित रूप से हो एवं स्टाफ को प्रोजेक्टर एवं वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाय।

   (घ) विभिन्न प्रोजेक्ट, विजय प्रोजेक्ट, उडान एवं रिकवरी के कार्यों को सर्किल स्तर से मॉनीटरिंग किया जाय।

   (ङ) सभी कर्मचारियों को टैरिफ से संबंधित समस्त सामग्री के साथ बैग प्रदान किया जाय।

   (च) ब्राण्डबैंड कनेक्शन बढ़ाने हेतु इन्सेंटिव स्कीम जारी की जाय।

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

6. **जी.एस.एम. नेटवर्क के संबंध में** :– जी.एस.एम. नेटवर्क में पर्याप्त उपकरण नहीं होने के कारण विभिन्न जिलों के मोबाइल (जी.एस.एम.) टॉवर बंद हैं। म.प्र. के लगभग सभी जिलों में उपकरणों के खराब होने से यह स्थिति निर्मित हो रही है जिसके कारण बी.एस.एन.एल. उपभोक्ताओं का रूझान निगम के प्रति विपरीत होता जा रहा है अधिकतर उपभोक्ता नेटवर्क खराब होने के कारण अन्य कंपनियों के नेटवर्क में तब्दील होते जा रहे है जिससे बी.एस.एन.एल. को आर्थिक हानि हो रही है, इस पर तत्काल ध्यान दिया जावे। इस हेतु निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है :–

(अ) सभी टावरों की बैटरियां खराब होने के कारण उनको बदलकर नयी बैट्री लगाई जावें। इसी प्रकार जी.एस.एम. साइड / टेलीफोन एक्सचेंजों में भी नयी बैटरियां लगायी जावे।

(ब) नेटवर्क के लिये आवश्यक उपकरण जैसे सूमा कार्ड, टीआरई माडूल क्रय किये जायें एवं आवश्यकता से 10 प्रतिशत उपकरण अधिक मात्रा में रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

(स) सोलर ऊर्जा के उपयोग में विचार किया जाये।

7. **जी.एस.एम. टॉवर रख–रखाव के संबंध में** – वर्तमान में म.प्र. बी.एस.एन.एल. परिमंडल क्षेत्र से जी.एस.एम. टावर रख–रखाव किया जा रहा है लेकिन जी.एस. एम. क्षेत्र में कुल स्टाफ का 2 प्रतिशत भी जी.एस.एम. टॉवर के रख–रखाव में नहीं लगाया गया है जिससे जी.एस.एम. सेवायें प्रभावित हो रही हैं। वर्तमान में लगभग सभी जी.एस.एम. टावर साइड के टावर बिल्डिंगों की छतों पर लगाये गये हैं। छतों तक उपकरण पहुंचाने के लिए पर्याप्त आर.एम. तक पदस्थ नहीं किये गये हैं। अवकाश के दिनों में भी स्टाफ की डियूटी लगाई जाती है। अतः इस संबंध में हमारी मांग है कि प्रत्येक जिले में कम से कम निम्न प्रकार का स्टाफ पदस्थ किया जाय।(1)डी.ई.–1, (2) एस.डी.ई.–1 (3) जे.टी.ओ.–2, (4) टी.टी.ए.–3, (5) टी.एन.–4, (6) आर.एम.–4 जिससे बी.एस.एन.एल. का कार्य प्रभावित न हो और बी.एस.एन.एल. को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

8. ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. के प्रोडक्ट विक्रय करने के संबंध में– ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. की सेवाओं में विस्तार करने की संभावनायें शहरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र प्रबंधन द्वारा इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. की सिमें एवं रिचार्ज व्हाउचर आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को इससे वंचित रहना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर अन्य कंपनियों इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में निम्न कार्यवाही तत्काल किया जाना अपेक्षित है :–

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क में सुधार तुरन्त किया जाये।
(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. की सिमें एवं रिचार्ज व्हाउचरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
(स) ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राण्ड बैंड सुविधा प्रदान करने हेतु अभियान चलाया जाये, जिससे अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।

9. **एकल खिड़की प्रणाली को प्रभावी बनाने के संबंध में** – म.प्र. परिमंडल में एकल खिड़की को प्रभावी बनाया जाय। इस संबंध में सेवा केन्द्रों की व्यवस्था का अवलोकन किया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि एकल खिड़की का प्रभावी उपयोग हो जिससे उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधायें दी जा सके।

10. **वर्क्स कमेटी की नियमित बैठकें** – वर्क्स कमेटियों के कामकाज की मॉनीटरिंग की जाय यह अत्यंत ही खेद का विषय है कि फील्ड यूनिटों के वर्क्स कमेटियों को प्रायः कागजों तक ही सीमित कर रखा है ऐसा करना वास्तविक रूप से बी. एस.एन.एल. की सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना, सेवाओं का सही रख–रखाव करना तथा राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी ही करना है। अतः हम निवेदन करते हैं कि वर्क्स कमेटियों को सक्रिय बनाया जाय तथा परिमंडल कार्यालय अनिवार्य रूप से मॉनीटरिंग करें।

11. **डब्ल्यू.एल.एल. मोबाइल बिलों के संबंध में** :– म.प्र. परिमंउल काउंसिल के निर्णय के अनुसार विभागीय टूल के रूप में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को डब्ल्यू. एस.एल. प्रदान किये गये थे कर्मचारियों ने विभागीय कार्य हेतु डब्ल्यू.एल.एल. का उपयोग किया है जिसको ***राईट आफ*** करने हेतु परिमंडल काउंसिल में सहमति बनी थी लेकिन विभिन्न जिलों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि प्रबंधन डब्ल्यू.

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

एसल.एल. बिल की राशि कर्मचारियों से वसूल रहा है कृपया डब्ल्यू.एल.एल. के बिल राइट आफ किये जाये जैसे– सागर, बालाघाट, जबलपुर आदि।

12. **टी.ए. /टी.पी. का भुगतान** :– अनेकों एस.एस.ए. में टी.ए. / टी.पी. का भुगतान कई वर्षों / माहों से लंबित है जैसे मुरैना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शाजापुर, पन्ना, सतना इत्यादि स्थानों के शीघ्र भुगतान कराये जाये।

13. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो :– विभागीय निर्देश अनुसार समस्त एसएसए को निर्देश जारी किये जाये कि तत्परता के साथ पीपीओ आदेश जारी हो सकें।

14. **पैरा–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरण** :– (1) अनेकों कर्मचारियों ने पैरा–8 के तहत आवेदन दिये हैं, कृपया नियमानुसार समस्त कैडरों की वेटिंग लिस्ट नई तैयार कर जारी की जाय और परिमंडल के भीतर एवं परिमंडल के बाहर स्थानान्तरण किये जाये।

15. समस्त कैडरों की ग्रेडेशन लिस्ट पदोन्नति हेतु जाकर यूनियन को उपलब्ध करायी जाये। इसी प्रकार प्रकार लॉगेस्ट स्टे की लिस्ट भी एसएसए वाईज तैयार करवायी जाये जिससे कि टेनअर स्थानान्तरणों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

16. यूनियनों के चंदा कटौत्री की ईआरपी में समुचित व्यवस्था – ईआरपी सिस्टम के लागे होने से पूर्व जिस प्रकार यूनियनों के चंदा कटौत्री की व्यवस्था थी उसी प्रकार ईआरपी में भी व्यवस्था करवाई जाय जिससे कि आल इंडिया, सर्कल एवं जिला यूनियनों को राशि सीधे प्राप्त हो सके। ईआरपी सिस्टम में कर्मचारियों के वेतन से की गई समस्त कटौतियों को उचित समय में संबंधित संस्थाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा कटौत्री लिस्ट संबंधित संस्थाओं को उचित समय पर उपलब्ध करवा दी जावे जिससे समयानुसार कर्मियों को लोन इत्यादि मिलने में विलंब न हो।

17. लैण्डलाईन कनेक्शनों के प्रति जनता का आकर्षण पैदा करने के लिए अग्रेसिव प्रचार–प्रसार करें – प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रचार–प्रसार पर जो कुछ भी कम या ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वह सिर्फ मोबाइल के क्षेत्र में ही हो रहा है। किंतु, लैण्ड लाइन टेलीफोन कनेक्शन्स, जो कि हमारे मजबूत आधार है, उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मोबाइल टेलीफोन्स,

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

यद्यपि मौजूदा दौर की महती आवश्यकता हो गई है परंतु लैण्ड लाइन का विकल्प नहीं है। लैण्ड लाइन आज भी स्टेटस सिम्बल है तथा वेल्यू एडेड सेवाएं भी दे रहे हैं। इसलिए लैण्ड लाइन के क्षेत्र में जनता का आकर्षण पैदा करने के लिए समुचित प्रचार–प्रसार पर तुरन्त ध्यान दिया जावे एवं समयानुकूल कदम उठाये जावें।

18. **दिनांक 01.01.2007 से ट्रेनिग भत्ता** – कारपोरेट कार्यालय द्वारा 01.01.2007 से ट्रेनिंग भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, अतः शीघ्रातिशीघ्र जानकारी कारपोरेट कार्यालय को प्रेषित की जाये और प्रेषित की गई जानकारी से संगठन को अवगत कराया जाये।

19. **हितकारिणी निधि** :– हितकारिणी निधि से कर्मचारियों को समय–समय पर राशि की उपलब्धता निम्नानुसार करायी जाना चाहिये –

(अ) कर्मचारी की मृत्यु उपरांत हितकारिणी निधि से 15,000/– रूपये देने हेतु समस्त एस.एस.ए. में पर्याप्त व्यवस्था की जाय तथा नगद भुगतान किया जाय।

(ब) डियूटी के दौरान कर्मचारी की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी हितकारिणी निधि से सहायता राशि एसएसए में नहीं दी जा रही है जबकि हितकारिणी निधि का एक उद्देश्य यह भी है।

(स) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में किसी भी एसएसए द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी को अथवा गंभीर रूप से ग्रस्त कर्मचारी को सहायता राशि दी गई हो तो उसकी जानकारी संगठन को उपलब्ध करायी जाये।

20. **स्टाफ को मिलने वाले विभिन्न आयटमों के विषय में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करावें एवं वितरण का तरीका बदलें** :– उल्लेखनीय फील्ड स्टाफ / तकनीकी स्टाफ को गर्म वर्दी / सामान्य वर्दी, जर्सी/ बरसाती / टूल बैग, जूते, वाटर वोटर, साबुन आदि देने की व्यवस्था है। इन आयटमों को प्राप्त करने के लिये अपनाया जा रहा तरीका भी अवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक है। इसलिए सालों–साल एक बाद दूसरे आयटमों को प्राप्त करने के लिये ही उलझे रहना पड़ता है। क्या लंबित है और क्या मिल चुका है यह स्थिति प्रायः स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसलिये हम मांग करते हैं कि निर्धारित दरों के आधार पर विभिन्न आयटमों की नगद राशि राशि कर्मचारी को भुगतान कर दी जावे। इस संबंध में अभी कई एसएसए से जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां अभी तक वर्दियों का वितरण नहीं हुआ है जैसे नरसिंगपुर, शाजापुर, मुरैना इत्यादि।

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

21. बी.एस.एन.एल. की सेवाओं एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी सामान जैसे ड्राप वायर, इन्स्ट्रूमेंट्स मॉडम / केबल की उपलब्धता आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें, कवरेज बढ़ाने के लिये भी वी.टी.एस. मेनटेन करावें / लगावें।

22. अन्य विषय चेयरमैन महोदय की अनुमति से।

आदर सहित,

आपका विश्वसनीय

(एच.एस. ठाकुर)
सचिव,
परिमंडल काउंसिल बी.एस.एन.एल. म.प्र.
एवं परिमंडल सचिव बी.एस.एन.एल.ई.यू.
मध्यप्रदेश परिमंडल, भोपाल

प्रतिलिपि :

1. काम. हबीब खान, लीडर स्टाफ साइड, म.प्र. परिमंडल काउंसिल बी.एस.एन.एल. म.प्र. भोपाल।
2. समस्त सदस्य स्टाफ साइड परिमंडल काउंसिल म.प्र.

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com